

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अ०सं० :-3/अ0प्र0-1-166/2019(पार्ट) 4734 /पटना, दिनांक :- 29.4.25

श्री अमरेन्द्र कुमार, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेतिया सम्प्रति सेवानिवृत्त का कार्य प्रमंडल, बेतिया के पदस्थापन अवधि के दौरान L0-141 थवईया-सिखईया पथ निर्माण कार्य में भुगतान के विरुद्ध कम कार्य कराने, स्वीकृत प्राक्कलन के विपरीत एवं विशिष्टियों के अनुरूप कार्य नहीं कराने के आरोप में श्री अमरेन्द्र कुमार, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेतिया सम्प्रति सेवानिवृत्त को विभागीय अधिसूचना संख्या-42-सह-पठित ज्ञापांक 43 दिनांक 03.01.2020 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया एवं श्री कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर मुख्य अभियंता-2, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के अधीन विभागीय अधिसूचना संख्या-1003 सह पठित ज्ञापांक-1004 दिनांक 28.05.2020 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. मुख्य अभियंता-2-सह-संचालन पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में श्री कुमार के विरुद्ध गठित सभी आरोपों को अप्रमाणित पाये जाने का मतव्य अंकित किया गया है। मुख्य अभियंता-2-सह-संचालन पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त विभागीय अधिसूचना संख्या-105 सह पठित ज्ञापांक-106 दिनांक 21.01.2022 द्वारा श्री कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया गया।

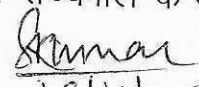
3. श्री कुमार के संदर्भ में मुख्य अभियंता-2-सह-संचालन पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना से करायी गयी। अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमति जताई गयी, जिस पर सम्यक समीक्षोपरान्त सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त कर श्री अमरेन्द्र कुमार, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेतिया सम्प्रति सेवानिवृत्त को विभागीय अधिसूचना संख्या-534 सह पठित ज्ञापांक -535 दिनांक 19.02.2024 द्वारा प्रश्नगत आरोप से मुक्त किया गया।

4. श्री कुमार द्वारा निलंबन अवधि का विनियमन करने हेतु अभ्यावेदन दिनांक 27.02.2024 समर्पित किया गया। अभ्यावेदन के समीक्षोपरान्त श्री अमरेन्द्र कुमार, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेतिया सम्प्रति सेवानिवृत्त के निलंबन अवधि दिनांक 03.01.2020 से दिनांक 21.01.2022 तक को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 11(3) एवं (4) के तहत निम्न प्रकार से विनियमित किया जाता है:-

(i) निलंबन अवधि दिनांक 03.01.2020 से दिनांक 21.01.2022 तक अनुमान्य पूरे वेतन एवं भत्ते का भुगतान देय होगा, परन्तु ऐसा भुगतान करने के क्रम में पूर्व में दिये गये जीवन-निर्वाह भत्ता एवं अन्य भत्तों का समायोजन कर लिया जायेगा।

(ii) आलोच्य निलंबन अवधि सभी प्रयोजनों के लिए कर्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानी जायेगी।

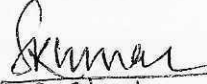
बिहार राज्यपाल के आदेश से


29/4/25
(संजय कुमार)

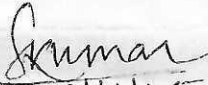
अवर सचिव

कृ०पृ०३०

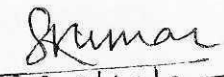
ज्ञापांक:- 3/अ0प्र0-1-166/2019(पार्ट) 4735 /पटना, दिनांक :-29.4.25
प्रतिलिपि:- महालेखाकार(ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वैयक्तिक
दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन,
पटना/ कोषागार पदाधिकारी, आरा/कोषागार पदाधिकारी, बेतिया को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


29/4/25
अवर सचिव

ज्ञापांक:- 3/अ0प्र0-1-166/2019(पार्ट) 4735 /पटना, दिनांक :-29.4.25
प्रतिलिपि:-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ अपर मुख्य सचिव के आप्त
सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव/सभी मुख्य
अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, बेतिया/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
बेतिया/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रमंडल,
आरा/प्रशाखा पदाधिकारी-5, 12 एवं 13 ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ श्री
अमरेन्द्र कुमार, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेतिया
सम्प्रति सेवानिवृत्त स्थायी पता:- मो0-बेलिसराय, जिला स्कूल के निकट, मोतिहारी, पूर्वी
चम्पारण, पिनकोड-845401 मोबाईल संख्या-9631725087 को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।


29/4/25
अवर सचिव

ज्ञापांक:- 3/अ0प्र0-1-166/2019(पार्ट) 4735 /पटना, दिनांक :-29.4.25
प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट
पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


29/4/25
अवर सचिव